.यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** के माह 08/2017 से माह 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21.08.2018 से 01.09.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिंहा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.08.2017 से 23.08.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2016 से माह 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी **बीमारी**, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	74.73	74.73	Nil	9480.28	8451.34	1028.94
2016-17	Nil	Nil	79.26	79.26	Nil	12319.92	9758.40	2561.52
2017-18	Nil	Nil	115.24	114.75	Nil	11217.51	10696.53	521.47

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016–17			2017–18		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	1381.28	564.16	Nil	852.00	852.00
इन्दिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	Nil	996.03	654.22	Nil	568.06	568.06
इन्दिरा गांधी राष्टीय विकलांग पेंशन योजना	Nil	8.54	8.54	Nil	11.82	11.82
पारिवारिक लाभ योजना	Nil	98.00	98.00	Nil	43.20	43.20
अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	1935.52	1028.19	Nil	498.25	498.25
अनु. जनजाति के 9–10 कक्षा की छात्रवृत्ति	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **विश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर–1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 189 गैर बी0पी0एल0 परिवारों को धनराशि रु0 37.80 लाख का अदेय भुगतान।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी दिशानिर्देश के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रुप में संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (बी0पी0एल0) के मुख्य कमाउॅ व्यक्ति (महिला या पुरुष) की मृत्यु होने पर, मृत्यु के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, को एकमुश्त सहायता अनुदान रु0 20,000 दिये जाने का प्रावधान है। पारिवारिक लाभ मृतक परिवार के उस जिवित सदस्य को प्रदान किया जाएगा, जिसे स्थानीय जॉच में मृतक परिवार के मुखिया के रुप में पाया **जाये**। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए क्रमशः अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत बजट आवंटन प्रदान किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में योजनान्तर्गत रु0 157.20 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। जिसके सापेक्ष वर्ष 2017–18 में धनराशि रु0 43.20 लाख का व्यय करते हुए **216** परिवारों को लाभान्वित किया गया था। कार्यालय द्वारा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खाते में रखा गया था, तद्उपरान्त लाभार्थी को National Electronic Funds Transfer (NEFT) के माध्यम से बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। आवेदन पत्रों एवं अनुमोदन सूची की जॉच में पाया गया कि आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिवारिक लाभ मृतक परिवार के उस जिवित सदस्य को प्रदान किया जाए, जिसे विभागीय जॉच में मृतक परिवार के मुखिया की भूमिका के रुप में पाया **जाये**, के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई जॉच किये बिना ही लाभान्वित किया गया था। यह भी पाया गया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए अलग अलग सूची नहीं बनायी गयी थी और न ही इस प्रकार की सूचना आवेदकों से प्राप्त की गयी थी। इस प्रकार की सूचना प्राप्त न किये जाने से लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में किस वर्ग के कितने लाभार्थी को लाभान्वित किया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि योजनान्तर्गत लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017–18 में कुल लाभान्वित 216 परिवारों में से 189 परिवार (88 प्रतिशत) गैर बी0पी0एल0 परिवारों अर्थात आय के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष भी धनराशि रु0

37.80 लाख का अदेय भुगतान कर लाभान्वित किया गया था जबकि दिशानिर्देशों में आय के आधार पर लाभान्वित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत कुल 506 परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा इन लाभार्भियों के सापेक्ष कोषागार में देयक प्रस्तुत कर धनराशि रु0 101.20 लाख प्राप्त कर कार्यालय के अन्तर्गत संचालित बैंक खाते में रखी गयी थी। इन 506 परिवारों में 406 परिवार *(80 प्रतिशत)* गैर बी0पी0एल0 परिवार भी सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा में आपत्ति (28 अगस्त 2018) किये जाने पर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में शासन से निर्देश प्राप्त करने हेतु (06 सितम्बर 2018) पत्र प्रेषित किया गया जिसके उत्तर में शासन से (07 सितम्बर 2018) यह निर्देश प्राप्त हुए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार केवल बी0पी0एल0 परिवारों को ही योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जानी है। तद्नुसार शासन के निर्देशों के क्रम में इन अपात्र लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया तथा सम्बन्धित धनराशि बैंक खाते में अवशेष के रुप में अवरुद्ध था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि चूँकि आवेदन पत्र में आवेदक की श्रेणी संबन्धी सूचना प्राप्त न होने के कारण अनुदान संख्यावार लाभार्थियों को वितरण नहीं किया जा सका, भविष्य में आवेदक के श्रेणी की सूचना प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी। गैर बी0पी0एल0 परिवारों को अदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि भविष्य में दिशानिर्देशों का पालन करते हुए योजनान्तर्गत केवल बी0पी0एल0 परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा।

अतः राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 189 गैर बी0पी0एल0 परिवारों को धनराशि रु0 37.80 लाख की धनराशि का अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर रु. 12.48 लाख के व्यय में निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन न किया जाना।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के संबंध में जारी शासनादेश (जनवरी/2009) में स्पष्ट प्रावधान है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पद्धति विद्यालय तथा 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय संस्थाओँ में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून के कक्षा 01 से 05 तक के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में छात्रों की भोजन व्यवस्था हेतु भोजन मद में रु. 12.50 लाख आवंटित किये गये थे। इकाई द्वारा संचालित आवासीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय देहरादून में वर्ष 2017-18 में छात्रों की संख्या 60 एवं उससे अधिक है। जिसके लिए शासनादेशानुसार निविदा के माध्यम में भोजन की व्यवस्था की जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में विद्यालय द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर भोजन व्यवस्था पर बिना निविदा के ही प्रत्यक्ष रुप से बाजार दर पर क्रय कर आवंटन रु. 12.50 के सापेक्ष रु. 12.48 लाख की धनराशि व्यय किया गया है। जबकि नियमानुसार विद्यालय द्वारा भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि निदेशालय से विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु अनुमति चाही गयी किन्तु निदेशक द्वारा वर्ष 2017-18 को छोड़कर वर्ष 2018-19 के लिए समस्त जनपदों का कार्यक्रम एक साथ तैयार कर विज्ञप्ति निदेशालय स्तर पर प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यस्था निविदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाये। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा न हीं किया गया। जोकि शासनादेश की अवहेलना है।

अतः राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर रु. 12.48 लाख का अनियमित व्यय करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 2 दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पात्र छात्रों को लाभान्वित न कर धनराशि रु0 239.98 लाख का अवरोधन एवं ब्याज की धनराशि रु0 72,769 विगत दो वर्षो से राजस्व प्राप्ति मद में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 99/xxvii (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी0 एल0ए0 में रखी **जाये** तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया **जाये**। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया **जाये**।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की भाग दो पंजिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यो के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 72,769 कार्यालय को माह 08/2016 एवं 11/2016 में उपलब्ध करायी गयी थी। उपरोक्त प्रावधानानुसार उक्त धनराशि का दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राजस्व प्राप्ति मद में जमा नहीं कराया गया तथा धनराशि वर्तमान तक बैंक खाते में अवशेष के रुप में जमा था।
उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कोषागार में देयक प्रस्तुत किया गया था। कतिपय कारणों जैसे खाता संख्या गलत होने आदि से कुछ छात्र/छात्राओं को उनके बैंक खाते में धनराशि का स्थानान्तरण कोषागार से नहीं हो पाया तथा उससे सम्बन्धित धनराशि कोषागार द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त होता है। वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान कोषागार से कुल धनराशि रु0 261.45 लाख कार्यालय को वापस प्राप्त हुए। कोषागाार से इस प्रकार के वापस प्राप्त धनराशियों को सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के सही बैंक खाते प्राप्त कर उन्हे NEFT आदि के माध्यम से पुनः भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु इकाई द्वारा वर्ष 2018–19 में केवल धनराशि रु0 21.47 लाख का ही पुनः भुगतान किया गया था। शेष धनराशि रु0 239.98 लाख वर्तमान तक बैंक खाते में अवशेष के रुप में

अवरुद्ध है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सम्बन्धित पात्र छात्रों को कार्यालय द्वारा वास्तव में छात्रवृत्ति का भुगतान कर लाभान्वित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2016–17 में कोषागार द्वारा धनराशि वापसी के समय सम्बन्धित छात्रों की सूची न प्रेषित करने के कारण उन्हें पुनः धनराशि का प्रेषण नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2017–18 में कोषागार द्वारा छात्रों की सूची प्रदान की गयी है जिसका मिलान तथा सही खाते प्राप्त कर पुनः धनराशि प्रेषित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 में भी वर्तमान तक केवल रु0 21.47 लाख की धनराशि का ही पुनः भुगतान प्रदान किया है।

अतः दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पात्र छात्रों को लाभान्वित न कर धनराशि रु0 239.98 लाख का अवरोधन एवं ब्याज की धनराशि रु0 72,769 विगत दो वर्षो से राजस्व प्राप्ति मद में जमा न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर :3- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 80 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले लाभार्थियों के संबंध में अनुचित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करना।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 में जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार गंभीर विकलांगता से ग्रस्त बीपीएल व्यक्तियों को पेंशन दी जानी है, गंभीर विकलांगता से तात्पर्य 80% विकलांगता अथवा एक से अधिक विकलांगता से है, भारत सरकार द्वारा 80 वर्ष तक की आयु के बीपीएल श्रेणी के पेंशनरों को ₹ 300 प्रति माह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु होने पर ₹ 500 प्रति माह की दर से पेंशन सहायता दी जाती है । राज्य सरकार द्वारा समस्त लाभार्थियों (बीपीएल एवं आय पर आधारित) को ₹ 1000/ प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है, बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के प्रकरणो में केंद्र की उपरोक्त दरों से सहायता भी सम्मिलित है ।

विकलांग पेंशन से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद देहरादून में 468 लाभार्थी (ग्रामीण क्षेत्र में 145 तथा शहरी क्षेत्र में 323) एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन का लाभ ले रहे हैं जिसमे से 99 लाभार्थी (ग्रामीण क्षेत्र में 96 तथा शहरी क्षेत्र में 03) 80% से कम विकलांगता से ग्रस्त हैं , जो कि एनएसएपी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, कार्यालय द्वारा उक्त 99 लाभार्थियों के लिए ₹ 300 प्रति माह की दर से वर्ष में ₹3,56,400/ (99x 12 x 300) की केंद्रीय सहायता की अनुचित मांग करके अनुचित भुगतान किया जा रहा है ।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि संदर्भित लाभार्थियों के संबंध में पुनः जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, एनएसएपी के दिशानिर्देशों में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कार्यालय द्वारा 80% से कम विकलांगता के बीपीएल लाभार्थियों को एनएसएपी के अंतर्गत विकलांग पेंशन प्रदान करके अनुचित केन्द्रीय सहायता ली जा रही है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:4- बिना सत्यापन के दशमोत्तर छात्रवृति के अंतर्गत ₹ 0.47लाख का अनुचित भुगतान

उत्तराखंड शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृति के क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृति के वितरण में पारदर्शिता लाये जाने हेतु तथा फर्जी रूप से छात्र छात्राओं के प्रवेश की रोकथाम हेतु छात्र छात्राओं के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन जिला अधिकारी द्वारा नामित समाज कल्याण विभाग से इतर अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा, भौतिक सत्यापन करते समय जांच अधिकारी सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाणपत्र, संबन्धित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओं की जांच करेगा। जांच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब के लिए संबन्धित जांच अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

दशमोत्तर छात्रवृति के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1. Nimbus School of Education के दशमोत्तर छात्रवृति के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया था, सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कु कविता पुत्री श्री मूर्ति लाल का प्रवेश निरस्त किया गया था, किन्तु उक्त छात्रा को कार्यालय द्वारा ₹ 47,300 की छात्रवृति (Bed II) फरवरी 2018 में दी गई थी। इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि संबन्धित छात्रा से धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय द्वारा स्पष्ट जांच रिपोर्ट के बाद भी छात्रवृति का भुगतान किया गया है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग दो (ब)

प्रस्तर:5- कार्यालय में संचालित 04 बैंक खातों में ₹ 12.16 करोड़ की धनराशि का अवरोधन

उत्तराखंड शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बेंकों में जमा की जाती रही है, अतः जब किसी कार्य के लिए निधि की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाए, साथ ही सरकारी विभागों में बैंक खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु खाता संचालित किया जा सकता है अन्यथा यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाए एवं उस खाते की धनराशि विभागीय पीएलए में तथा उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा करा दिया जाए

कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में कार्यालय में संचालित 04 बेकों में दिनांक 31.07.2018 को निम्नानुसार धनराशि थी

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (लाख में)
इंडियन ओवरसीस बैंक	148902000000252	1079.76
इंडियन ओवरसीस बैंक	148902000000142	0.45
इलाहाबाद बैंक	50037444421	38.13
एचडीएफ़सी बैंक	50200020261417	97.24
कुल योग		1215.58

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि भुगतान की जाने वाली धनराशि को रोकते हुए शेष धनराशि को प्राप्ति मद में जमा कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं हैं, विगत लेखापरीक्षा में भी लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में आपत्ति किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में अप्रयुक्त धनराशि को राजकोष में जमा करने को कहा गया था ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत 182 पात्र लाभार्थियों को रु. 91 लाख का भुगतान न किया जाना।

शासनादेश संख्या 749/XXVII-4/2016-01(135)2013 टी.सी.-1(05/16) मई 2016 के गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियाँ एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रु. 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों में) एवं 21206/- (शहरी क्षेत्र) से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत चयनित प्रति छात्रा को रु. 50000 की धनराशि कन्याधन के रुप में स्वीकृत की जायेगी। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक संबंधित कार्यालय द्वारा एफ.डी.आर. बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में आनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अनुसूचित जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2017-18 के लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु 434 लाभार्थियों का चयनित किया गया था। जिसमें वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 126 एवं 126 कुल 252 को लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करते हुए रु. 126 लाख की धनराशि का एफडी के रुप में वितरण की गयी। अवशेष 182 पात्र लाभार्थियों को रु. 50000/- की दर से सम्प्रेक्षा अवधि (08/18) तक रु. 91 लाख भुगतान किया जाना शेष है। जबकि शासनादेशानुसार के अनुसार योजना का लाभ इण्टरमीटिए परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक दिया जाना चाहिए था। जबकि चयनित लाभार्थियों परीक्षाफल घोषित होने के (जून 2016) 02 वर्ष के पश्चात 182 लाभार्थी योजना के लाभ पाने से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अवशेष छात्राओं को भुगतान हेतु धनराशि की मांग निदेशालय से की गई है उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीटिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात जुलाई माह तक संबंधित कार्यालय द्वारा एफ डी आर जाने हेतु छात्राओं के खातों में आनलाइन धनराशि स्थान्तरित कर दिया जाना चाहिए था। जबकि चयनित लाभार्थियों परीक्षाफल घोषित होने के (जून 2016) 02 वर्ष के पश्चात 182 लाभार्थी के लाभ पाने से वंचित रहे।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत 182 पात्र लाभार्थियों को रु. 91 लाख का भुगतान न किया जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
10	2010–11	शून्य	04	शून्य
	2011–12	शून्य	03	शून्य
64	2012–13	शून्य	04	शून्य
62	2014–15	01	04	01
37	2016–17	शून्य	11	शून्य
66	2017–18	शून्य	07	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अगले उच्च अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण को (वर्ष 2017–18) प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रति उपलब्ध करायी जिस पर अगले उच्च अधिकारी की संस्तुति अप्राप्त है। लेखापरीक्षा दल द्वारा उक्त प्रस्तरों की जॉच की गयी तद्नुसार उन प्रस्तरों को निस्तारित करने तथा यथावत रखने की अनुशंसा की गयी है। शेष वर्षो के लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि आपत्तियों की वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही पुनः अनुपालन आख्या तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री अनुराग शंखधर	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.